



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 1222

बिलासपुर, दिनांक 19-05-2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,

(भू-प्रबंध)

अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

Diversion of forest land for non—purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Road Widening from Village Salhepalli to Kotrimal, Auraimuda to Teram and at Kanchanpur for Talaipalli Coal Mining Project, NTPC Ltd. Gharghoda. area- 1.732 ha. ragarding.

संदर्भ :-

आपका पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.-115-784/2232, रायपुर, दिनांक 09.09.2019 एवं वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ का पत्र क्र./544/दिनांक 04.05.2020

=====

विषयांतर्गत लेख है कि मेसर्स एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली कोल माइंस लिमि., लैलूंगा रोड़ घरघोड़ा द्वारा रोड़ निर्माण कार्य हेतु 1.732 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव 44 बिन्दुओं की चेक लिस्ट अनुसार व्यपवर्तन प्रस्ताव, डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट के साथ पृष्ठ क्रमांक अंकित कर प्रस्ताव निम्नानुसार है -

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव			
क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.	विवरण
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	1-04	फार्म A भाग -1 में संलग्न है ।
2	प्रपत्र । में प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन कोड (वृत्त कोड / वन मण्डल कोड / शाखा कोड / वर्ष / पंजीयन क्र	05-14	पंजीयन क्र. FP/CG/ROAD/39744/2019 Date 30.04.2019 Attached
3	वन क्षेत्र विवरण	15	संलग्न है ।
4	गैर वन क्षेत्र विवरण	16	संलग्न है ।
5	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल Printed टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर नक्शा ।	17	संलग्न है ।
6	वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप	18-25	संलग्न है ।
7	प्रपत्र -4 में प्रस्ताव	26-31	संलग्न है ।
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	31-35	संलग्न है ।
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र ।	36	संलग्न है ।
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग प्रमाण पत्र	37	संलग्न है ।
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र	38-51	आवश्यकता नहीं है ।

12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र 1ए एवं 1बी में)	52-62	संलग्न है ।
13	कास्ट / बेनिफिट एनालिसिस	63	आवश्यकता नहीं है ।
14	चयनित गैर वन क्षेत्र (वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु) का विवरण	64	आवश्यकता नहीं है । दूगने बिगड़े वन नारंगी वन क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	65	आवश्यकता नहीं है ।
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना(शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर मय10% वार्षिक वृद्धि के)	66-96	परिक्षेत्र अधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त योजना संलग्न है ।
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र	97	परिक्षेत्र अधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र संलग्न है ।
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण	98	नहीं किया गया, प्रतिवेदन संलग्न है ।
19	अधिनियम उल्लंघन के अधिकारियों का विवरण	99	प्रश्न ही नहीं उठता ।
20	अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	100	आवश्यकता नहीं है ।
21	गैर वन भूमि अनुउपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	101	आवश्यकता नहीं है ।
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान	102	संबंधित नहीं है ।
23	रिक्लेमेशन प्लान	103	संबंधित नहीं है ।
24	माइनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल माइनिंग प्रकरण में)	104	संबंधित नहीं है ।
25	व्यवस्थापन प्लान	105	संबंधित नहीं है ।
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र – III में)	106-111	संलग्न है ।
27	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र	112	संलग्न है ।
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र	113-116	आवश्यकता नहीं है ।
29	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में	117	152959.600 हे.
30	व.स.अ. – 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे0 में	118-120	3381.001 हे.
31	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Category की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में ।	121	0.820 हे.
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी	122	संलग्न है ।
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरण में)	123	संबंधित नहीं है ।
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र	124	संलग्न है ।
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र	125-128	संलग्न है ।
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा	129-130	संलग्न है ।

	मूल्य जमा करने का वचन पत्र		
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance.	131	संलग्न है।
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it	132	संलग्न है।
39	परियोजना के किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र	133	संलग्न है।
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 - Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)	134	संबंधित नहीं है।

राज्य शासन से संबंधित अभिलेख

41	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क कर विवरण (प्रपत्र – 1 में)	135-138	संलग्न है।
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत	139	आवश्यकता नहीं है।
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण	140	संलग्न है।
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc.) कमियों का विवरण :-	141	

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य (मार्ग चौड़ीकरण) का प्रस्ताव अनुसंधान सहित अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (04 प्रतियो में)


मुख्य वनसंरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

/2020/बिलासपुर, दिनांक : 19-05-2020

पृ. क्र./तक./ 1223

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली लिमि. लैलूंगा रोड़ घरघोड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य वनसंरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है।
(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता मेसर्स मुख्य महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली कोल माइंस लिमि.,
लैलूंगा रोड़ घरघोड़ा द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल में राजस्व वन क्षेत्र रकबा 1.732
हे. सड़क निर्माण / चौड़ीकरण हेतु आवेदित वनभूमि का स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष
सिफारिशें।

अनुसंशित।


(अनिल सोनी)

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

